

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/598/4102

भोपाल, दिनांक 06/2/16

--:परिपत्र:--

यह देखने में आया है कि म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय तथा तकनीकी संभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संबंधित शाखा के वरिष्ठ प्रथम श्रेणी अधिकारी की बगैर अनुमति के निचले स्तर पर द्वितीय श्रेणी अधिकारी से अनुशांसा कराकर लंबी अवधि के अवकाश पर चले जाते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में न होने के कारण अवकाश पर गये अधिकारी/कर्मचारी को आवंटित कार्य विपरीत रूप से प्रभावित/लंबित होता है।

अतः मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय तथा तकनीकी संभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को उप संचालक/कार्यपालन यंत्री या उनसे संबंधित शाखा में पदस्थ उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा ही अवकाश आवेदन अनुशांसित करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।

साथ ही मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय तथा तकनीकी संभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा दीर्घ अवधि के स्वीकृत अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व अपने कार्यालय प्रमुख/शाखा प्रमुख को अनिवार्य रूप से जानकारी दी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अरुण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दिनांक 06/2/16

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/क/598/4103

प्रतिलिपि :- संबंधितों को पालनार्थ।

1. निज सचिव, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अपर संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उपसंचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय.....(समस्त)
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी/सहायक यंत्री (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
6. कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग.....(समस्त)
7. समस्त अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय...../तक.संभाग.....
8. सूचना पटल/समस्त शाखा.....मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल